(109)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 707–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–12–2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक तहसील व जिला हरदा, प्रकरण कमांक 01/अ–12/2015–16.

.....

दिनेशचंद्र वल्द मूलचन्द्र
निवासी तहसील व जिला हरदा म0प्र0 ..... आवेदक

विरूद्ध

1– जसोदाबाई बेवा हृदयाराम गुर्जर
2– शांतिबाई पत्नि संतोष गुर्जर
दोनों निवासी ग्राम उड़ा तहसील व
जिला हरदा म0प्र0 ..... अनावेदिकागण

.....

श्री राजेंद्र पांचाल, अभिभाषक–आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–अनावेदिकागण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 28/12/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक तहसील व जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय हरदा के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम कुलहरदा छिपानेर रोड, हरदा स्थित भूमि सर्वे कमांक 14/3 रकबा 0.36 एकड़ के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक

द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–12/14–15 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 17–12–2015 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है:–

(1) प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 14/1 एवं 15/3 आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है और उसके द्वारा अपनी भूमि का डायवर्सन विधिवत कराया गया है और मौके पर अनावेदक का कोई भी आधिपत्य नहीं है, केवल राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज होने के कारण उसके द्वारा प्रकिया विहीन सीमांकन कराया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सीमांकन सभी हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में किया जाना आवश्यक होता है, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । यहॉ तक कि सीमांकन अनावेदकगण की भी अनुपस्थिति में किया गया है ।

(3) पंचनामा में पड़ोसी कृषकों के हस्ताक्षर नहीं कराये जाकर अन्य कृषकों के हस्ताक्षर कराये गये है, इसलिये सीमांकन नियमों के विपरीत किया गया है ।

(4) सीमांकन की कार्यवाही स्थायी सीमा चिन्हों से नहीं की गई है ।

(5) अनावेदकगण द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका केवल कब्जा है और भूमि पड़त पड़ी है ।

(6) अनावेदक की भूमि नहर में चली गई है, इसलिये वह तथाकथित अवैध सीमांकन कराकर आवेदक की भूमि हड़पना चाहते हैं ।

4/ अनावेदकागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर सीमांकन किया गया है, जो विधिवत है ।

(2) आवेदक सीमांकन के समय उपस्थित रहा है, परन्तु हस्ताक्षर ना करना पड़े, इसलिए दूर जाकर खड़ा हो गया ।

(3) राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर पंचनामा, फील्डबुक एवं नक्शा तैयार किया गया है । पंचनामा पर सभी उपस्थित व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये हैं ।

(4) आवेदक द्वारा अनावेदकगण की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, कब्जा न छोड़ना पड़े, इसलिए असत्य आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही की कोई सूचना आवेदक को नहीं दी गई है, क्योंकि प्रकरण के पृष्ठ 29 पर दिनांक 17–12–2015 को सीमांकन किये जाने संबंधी जारी सूचना पत्र संलग्न है, जिसकी तामीली आवेदक पर होना परिलक्षित नहीं होता है, कारण सूचना पत्र पर तामीली स्वरूप आवेदक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नहीं है और न ही किसी प्रकार की कोई टीप अंकित है । इसके अतिरिक्त पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाना ही सीमांकन प्रकरण से स्पष्ट होता है, जबकि आवेदक सहित पड़ोसी कृषक सीमांकन में हितबद्ध पक्षकार हैं । इस संबंध में 1998 आर.एन. 106 सेंधवा क्लब तथा एक अन्य विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> ''धारा 129–सीमांकन–हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।''

इसी प्रकार 1996 आर.एन. 375 गीता शर्मा (श्रीमती) विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा एक अन्य में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> ''धारा 129–समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन–अपने हित की संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है ।''

माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा 2006 आर.एन. 218 गजराजसिंह विरूद्ध रामसिंह तथा अन्य में भी इसी आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसमें दूसरा पक्षकार सूचित भी नहीं किया गया हो । अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन एवं पारित आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त सीमांकन पंचनामा को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन पंचनामा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर तैयार किया गया है, जिसमें यह भी उल्लेख नहीं है कि कौन–कौन से स्थायी सीमा चिन्हों से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, और सीमांकन के समय कौन–कौन पंचगण उपस्थित थे । अतः स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही विधिवत प्रकिया अपनाई जाकर नहीं की गई है, इस कारण भी राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक तहसील व जिला हरदा द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 17–12–2015 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर